

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुररिट याचिका क्रमांक 3636/1997

याचिकाकर्ता : रामाधर भास्कर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : मध्यप्रदेश राज्य व अन्य



विचार हेतु निर्णय

सही/-

सतीश के अग्निहोत्री,

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

मैं सहमत हूँ

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

11-4-2012

आदेश उद्धोषित करने हेतु दिनांक 12 अप्रैल , 2012 को सूचीबद्ध करें

सही/-

सतीश के अग्निहोत्री,

न्यायाधीश



2012:CGHC:8203-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3636/1997

याचिकाकर्ता : रामाधर भास्कर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : मध्यप्रदेश राज्य व अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के अधीन याचिका

युगलपीठ: माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री एवं

माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायाधीशगण

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री बी.पी. राव, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी की ओर से: श्री एम.पी.एस. भाटिया उप-शासकीय अधिवक्ता

आदेश

(पारित करने का दिनांक 12 अप्रैल, 2012)



द्वारा सतीश के अग्निहोत्री, न्यायाधीश

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दिनांक 06.08.1997 को पारित आदेश (अनुलग्नक ए/12) को अभिखण्डित करने की मांग की है, और साथ ही पुलिस अधीक्षक, सरगुजा (संक्षेप में 'एसपी') द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.1992 (अनुलग्नक ए/8) को भी निरस्त करने की मांग की है, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं, तथा दिनांक 23.03.1993 को पारित आदेश (अनुलग्नक ए/11) को भी चुनौती दी गई है, जिसमें पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज ने दिनांक 30.09.1992 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया था और पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की थी।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जब याचिकाकर्ता सरगुजा जिले के थाना केलहारी में पुलिस प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, तब उसे दिनांक 15.01.1992 को एक आरोप-पत्र तामील किया गया था। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि, प्रथम—याचिकाकर्ता ने बिना किसी कारण के एक व्यक्ति धीरसाय गोंड के साथ मारपीट की है, और द्वितीय—उसने बुंदेली निवासी सरजू सिंह गोंड से ₹500/- की राशि रिश्वत के रूप में प्राप्त की है। आरोप-पत्र तामील किए जाने से पूर्व, नगर पुलिस अधीक्षक (संक्षेप में 'सीएसपी') द्वारा एक प्रारंभिक जाँच की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को किसी भी आरोप का दोषी नहीं पाया गया था। तत्पश्चात, पुलिस अधीक्षक, प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट के निष्कर्ष से असहमत होते हुए, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा जवाब दिया गया। याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के उपरांत, अनुशासिक प्राधिकारी होने के नाते, पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिनांक 30.09.1992 के माध्यम से याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति अधिरोपित कर दी।

3. इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसे भी दिनांक 23.03.1993 को खारिज कर दिया गया और पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश



की पुष्टि कर दी गई। अपीलीय आदेश दिनांक 23.03.1993 से क्षुब्ध होकर, याचिकाकर्ता ने अधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे मूल आवेदन क्रमांक 261/1993 के रूप में दर्ज किया गया। अधिकरण ने आवेदन पर विस्तृत विचार करने के पश्चात, दिनांक 06.08.1997 (अनुलग्नक ए/12) को इसे खारिज कर दिया। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राव का यह तर्क है कि अधिकरण ने यह अवधारित करने में त्रुटि की है कि अनुशासिक प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस अधीक्षक का निर्णय विकृत नहीं है, जबकि तथ्य यह है कि म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम, 1966') के नियम 15(2) के अनुसार जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त करने के लिए कारणों को अभिलिखित किया जाना आवश्यक है, जो वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सत्य होने का एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है। पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) [संक्षेप में 'एसडीओ(पी)'], मनेंद्रगढ़, जिन्होंने विभागीय जाँच संचालित की थी, द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपना सकते थे।

5. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री भाटिया का यह तर्क है कि जिन आदेशों को आक्षेपित किया गया है, उनमें कोई अवैधता या विकृति नहीं है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश और पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा पारित अपीलीय आदेश, तथ्यों और साक्ष्यों के उचित विवेचना पर आधारित हैं। तत्पश्चात, अधिकरण ने एक सकारण आदेश पारित किया है, जिसमें प्रत्यर्थी अधिकारियों की कार्यवाही को न्यायोचित ठहराया गया है। अतः, इस प्रकरण में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया, तथा अभिवचनों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।



7. अधिकरण द्वारा पारित आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 30.09.1992 के आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों के तथ्यात्मक पहलू पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। जाँच के दौरान परीक्षित साक्षियों के कथनों पर भी उचित रूप से विचार किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता या दुर्बलता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि आरोप प्रमाणित पाए गए थे। तत्पश्चात, अपील में पुलिस उप-महानिरीक्षक ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया है जो पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनाया गया था।

8. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, आरोप-पत्र इस आरोप के साथ जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता ने एक व्यक्ति धीरसाय गोंड़ के साथ मारपीट की थी, और इसके अतिरिक्त, उसने ग्राम कुदेली निवासी एक व्यक्ति सरजू सिंह गोंड़ से ₹500/- की राशि रिश्वत के रूप में प्राप्त की थी। आरोप-

पत्र के साथ साक्षियों की सूची, दस्तावेजों की सूची और आरोपों के विवरण संलग्न थे। तत्पश्चात, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मनेंद्रगढ़ ने विस्तृत जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.07.1992 (अनुलग्नक ए/5) में यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्वोक्त आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए।

इसके बाद, पुलिस अधीक्षक ने जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट से असहमति जताते हुए, एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.08.1992 (अनुलग्नक ए/6) जारी किया। इसमें यह उल्लेख किया गया

कि जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए समस्त आरोपों और निष्कर्षों के परीक्षण के उपरांत, यह पाया गया है कि आरोप प्रमाणित हैं, अतः याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त क्यों न कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने

उक्त नोटिस का अपना जवाब प्रस्तुत किया। तदोपरांत, याचिकाकर्ता को 30.09.1992 (अनुलग्नक ए/8) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा आदेश दिनांक

23.03.1993 (अनुलग्नक ए/11) के माध्यम से की गई और तत्पश्चात, अधिकरण द्वारा दिनांक 06.08.1997 (अनुलग्नक ए/12) को इसकी पुष्टि की गई।

9. अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 06.08.1997 (अनुलग्नक ए/12) में यह अवधारित किया कि विभागीय जाँच निष्पक्ष तरीके से संचालित की गई थी और याचिकाकर्ता को हर स्तर पर सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया था। सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे और साक्षियों का उचित परीक्षण किया



गया था। आगे यह अवधारित किया गया कि अनुशासिक प्राधिकारी को जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने का अधिकार है और यदि असहमति होती है, तो अपचारी कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि वह कर सके और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि जाँच अधिकारी के निष्कर्षों पर अनुशासिक प्राधिकारी की असहमति होने की स्थिति में, निर्णय लेने से पूर्व याचिकाकर्ता को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। अंततः, अधिकरण ने पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखते हुए यह अवधारित किया कि अधिकरण एक अपीलीय न्यायालय की भांति कार्य नहीं कर सकता।

10. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें नियम, 1966 के प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं। नियम, 1966 का नियम 15 ऐसी स्थिति का प्रावधान करता है जिसमें अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जाँच प्राधिकारी नहीं है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त कर सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु, इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- “15. जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही :- (1) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उस प्रकरण को जांचकर्ता प्राधिकारी की ओर और जांच तथा रिपोर्ट के लिये भेज सकेगा और जांचकर्ता प्राधिकारी तदुपरान्त, जहां तक हो सके नियम 14 के उपबंधों के अनुसार और जांच करने के लिए अग्रसर होगा.
- (2) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप पद पर जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो, ऐसी असहमति के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यदि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो.



(3) यदि अनुशासिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप पदों या किसी भी आरोप पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह राय हो कि नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देगा ।

परन्तु ऐसे प्रत्येक प्रकरण में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, जांच का अभिलेख अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा आयोग की ओर, उसकी मंत्रणा के लिये अग्रेषित किया जाएगा और शासकीय सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी मंत्रणा पर विचार किया जाएगा ।

11. दिनांक 25.08.1992 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक ए/6) में, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करने के बाद, पुलिस अधीक्षक ने जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के विस्तृत कारण दिए हैं। यद्यपि, कारणों को दर्ज करने से पहले या उसके बाद, याचिकाकर्ता को जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस, दंड अधिरोपित करने के लिए कथित आरोपों को स्वीकृत करने के पश्चात, द्वितीय कारण बताओ नोटिस की प्रकृति का था। इस प्रकार, उक्त कारण बताओ नोटिस जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणों को दर्ज करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को संतुष्ट नहीं करता है।

12. नियम, 1966 के नियम 15 के सरल परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इसमें यह प्रावधान नहीं किया गया है कि यदि अनुशासिक प्राधिकारी जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होता है, तो वह सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, सिवाय इसके कि ऐसी असहमति दर्ज की जानी चाहिए। यद्यपि, इसी तरह के प्रावधानों पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब नेशनल बैंक व अन्य विरुद्ध कुंज बिहारी मिश्रा**¹



के प्रकरण में विचार किया गया है। उक्त प्रकरण में पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1977 का सुसंगत **विनियम 7(2)** विचाराधीन था, जो निम्नानुसार है:

“7. जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही :- (1) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांचकर्ता प्राधिकारी न हो, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उस प्रकरण को जांचकर्ता प्राधिकारी की ओर और जांच तथा रिपोर्ट के लिये भेज सकेगा और जांचकर्ता प्राधिकारी तदुपरान्त, जहां तक हो सके नियम 14 के उपबंधों के अनुसार और जांच करने के लिए अग्रसर होगा.

(2) अनुशासिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप पद पर जांचकर्ता प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो, ऐसी असहमति के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यदि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त हो.

(3) यदि अनुशासिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप पदों या किसी भी आरोप पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह राय हो कि नियम 10 में उल्लिखित की गयी शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की जाय, तो वह नियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देगा ।

(4) यदि अनुशासिक प्राधिकारी की, समस्त आरोप पदों या किसी भी आरोप पद पर के अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह राय हो कि कोई शास्ति आवश्यक नहीं है, तो वह संबंधित अधिकारी कर्मचारी को दोषमुक्त करने का आदेश पारित कर सकता है।”

13. उपरोक्त विनियम, नियम, 1966 के नियम 15(2) के प्रावधानों के समरूप है।

14. पूर्वोक्त प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:



“19. उपर्युक्त विश्लेषण का परिणाम यह होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विनियम 7(2) के साथ पढ़ा जाना अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनिक प्राधिकारी किसी आरोप के संबंध में जाँच प्राधिकारी से असहमत होता है, तो उस आरोप पर अपना स्वयं का निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, उसे ऐसी असहमति के लिए अपने अनंतिम कारण दर्ज करने चाहिए और अपचारी अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें उसके निष्कर्ष शामिल हैं, कर्मचारी को भेजी जानी होगी और अपचारी अधिकारी के पास अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए सहमत करने का अवसर होगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की यह अपेक्षा है कि वह प्राधिकारी, जिसे अंतिम निर्णय लेना है और जो शास्ति अधिरोपित कर सकता है, कदाचार के आरोपी अधिकारी को अपना निष्कर्ष दर्ज करने से पूर्व अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे।

20. हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, वह 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स' के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अंतर्निहित सिद्धांत के भी अनुरूप है। 'राम किशन' के प्रकरण के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए हमारा अभिमत यह है कि 'एस.एस. कोशल' और 'एम.सी. सक्सेना' के प्रकरणों में व्यक्त किया गया इसके विपरीत दृष्टिकोण उचित विधि स्थापित नहीं करता है।

15. **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य विरुद्ध के.पी. नारायणन कुट्टी²** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:



“6..... पंजाब नेशनल बैंक प्रकरण के ऊपर उद्धृत निर्णय के कण्डिका 19 में, जब स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विनियम 7(2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए [स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पर्यवेक्षी कर्मचारी) सेवा नियम का नियम 50(3)(ii), वर्तमान प्रकरण में लागू शर्तों के समान है] और अपचारी अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी को इस बात के लिए सहमत करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि वह जाँच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्षों को स्वीकार कर ले, तो हमारे लिए अपीलार्थीगण की ओर से दिए गए इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि जब तक यह न दिखाया जाए कि प्रत्यर्थी को कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता।”

“7. अतः, हम पंजाब नेशनल बैंक प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय से सहसम्मान सहमति व्यक्त करते हैं, क्योंकि वह स्पष्टतः इसी बिंदु पर आधारित है।”

16. पंजाब नेशनल बैंक व अन्य (पूर्वोक्त) के प्रकरण को पंजाब नेशनल बैंक व अन्य विरुद्ध के.के.

वर्मा³ के प्रकरण में अनुमोदन सहित संदर्भित किया गया था।

17. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, नियोक्ता का यह दायित्व है कि वह अपचारी कर्मचारी को नोटिस जारी करे ताकि वह अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए सहमत कर सके। वर्तमान प्रकरण में, जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणों के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिससे कि वह जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों के समर्थन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाता।

18. उपरोक्त के आलोक में, दिनांक 25.08.1992 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक ए/6) को नियम, 1966 के नियम 15(2) के अधीन आवश्यक कारण बताओ नोटिस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि ऊपर विस्तार से समझाया गया है।



19. अतः, इसके परिणामस्वरूप पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित शास्ति आदेश दिनांक 30.09.1992 (अनुलग्नक ए/8), पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.1993 (अनुलग्नक ए/11) और अधिकरण द्वारा दिनांक 06.08.1997 को पारित आदेश (अनुलग्नक ए/12), विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं हैं, और तदनुसार उन्हें अभिखण्डित किया जाता है।

20. फलस्वरूप, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। यद्यपि, अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह विकल्प उपलब्ध है कि वह जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के स्तर से नई जांच शुरू कर सके और विधि सम्मत उसके गुण-दोषों के आधार पर उचित कार्रवाई कर सके। यदि याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका है, तो वह इस आदेश से उत्पन्न होने वाले आनुषंगिक लाभों , जिनमें सेवानिवृत्ति लाभ भी शामिल हैं, का हकदार होगा।

21. वाद-व्यय हेतु कोई आदेश नहीं ।



सही/-
सतीश के अग्निहोत्री
न्यायाधीश

सही/-
मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**